

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड (रा०मा०), लो०नि०वि०,
सुलतानपुर।

पत्रांक
सेवा में,

/3काम/EPC/2017

दिनांक : मई, 2017

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, फैजाबाद।

विषय:- जनपद फैजाबाद में फैजाबाद-इलाहाबाद रा०मा० सं०-330 (पुराना रा०मा० सं०-96) के किमी० 12.600 से किमी० 12.950 तक टोल प्लाजा स्थापना हेतु दोनों पटरी पर वृक्षारोपण सम्बन्धी प्रेषित आनलाइन प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्तियों के निराकरण के संबंध में।

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय (मध्य) लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू०पी०/06/18/2017/एफ०सी०/129 दिनांक 08.03.2017

जनपद फैजाबाद में फैजाबाद-इलाहाबाद रा०मा० सं०-330 (पुराना रा०मा० सं०-96) के किमी० 12.600 से किमी० 12.950 तक टोल प्लाजा स्थापना हेतु दोनों पटरियों पर प्रस्तावित वन भूमि एवं वृक्षों के पातन हेतु आनलाइन प्रस्ताव सं०-एफ०पी०/यू०पी०/रोड/19199/2016 प्रेषित किया गया था, जिस पर उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रस्ताव को वापस करते हुए विभिन्न नौ बिन्दुओं का निराकरण करके प्रस्ताव पुनः प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। उपरोक्त के अनुपालन में इस खण्डीय स्तर से संबंधित बिन्दुओं का निराकरण करते हुए सी०डी० सहित प्रस्ताव पुनः इस आशय से प्रेषित है कि कृपया अपने स्तर से संबंधित अन्य सभी बिन्दुओं का निराकरण करते हुए प्रस्ताव उच्चाधिकारियों को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार सी०डी० सहित।

अधिशासी अभियन्ता
अ०खं०(रा०मा०), लो०नि०वि०,
सुलतानपुर।

पत्रांक 845/3काम/EPC/2017 दिनांक : 09मई, 2017
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता (रा०मा०), लो०नि०वि०, लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता रा०मा० वृत्त, लो०नि०वि०, लखनऊ।
3. सहायक अभियन्ता-प्रभारी, अ०खं०रा०मा०, लो०नि०वि०, सुलतानपुर को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि कृपया व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
4. पत्रावली हेतु।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड (रा०मा०), लो०नि०वि०,
सुलतानपुर

Proposed Forest Land Diversion of 0.84 ha with felling of 201 number of trees for Establishment of Toll Plaza on Faizabad-Allahabad NH-330 (Old NH-96) between Km. 12.600 to Km. 12.950 in Faizabad District of Uttar Pradesh

S.no	Question	Answer
1.	Reasons / Justification of location of Toll Plaza at the proposed site are not provided with the proposal.	स्वीकृत स्थल पर प्रस्तावित टोल प्लाजा के स्थल पर अधिक चौड़ाई की आवश्यकता होने के कारण एवं आबादी भाग होने एवं तमसा नदी सेतु के पहुच मार्ग के अति निकट होने के कारण ट्रैफिक मैनेजमेंट सुचारु नहीं रह पाता एवं सदैव जाम बने रहने की संभावना बनी रहती। अतः उच्चाधिकारियों के निर्देशन पर टोल प्लाजा निकटतम दूरी पर शिफ्ट किए जाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया, जिसकी अनुमति भारत सरकार, मोर्थ के फाईल सं०-NH-12014/ 11/2014/UP/NH-II दिनांक 18.04.2016 द्वारा प्रदान की गयी है, तदनुसार टोल प्लाजा हेतु प्रस्तावित स्थल का प्रस्ताव भेजा गया है।
2.	The alternatives of locating the toll plaza analysed/examined and there results have also not been provided with the proposal	प्रस्तावित स्थल का चयन इस प्रकार किया गया है कि संदर्भित भाग से गुजरने वाले अधिकतम वाहन टोल प्लाजा से होकर गुजरें, जिससे कि अधिकतम राजस्व की प्राप्ति हो सके। उक्त आधार पर ही टोल प्लाजा लोकेशन प्रस्तावित की गई है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राज मार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली (मोर्थ) के फाईल सं०-NH-12014/11/2014/ UP/NH-II दिनांक 18.04.2016 द्वारा राष्ट्रीय मार्ग के किमी० 13 (चैनेज 12.600 से 12.950) में ही टोल प्लाजा की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है (छाया प्रति संलग्न) अतः अन्य कोई विकल्प पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं है।
3.	The uploaded Survey of India topo sheet and geo referenced map for proposed forest land diversion has not been authenticated by the concerned District Level forest official.	बिन्दु सं०-3 डी०एफ०ओ०, फैजाबाद द्वारा निर्धारित मानचित्र एवं जियो रेफरेन्स मैप पर हस्ताक्षर करा दिया गया है।
4.	Forest land gazette notification is not legible, un authenticated and the concerned portion of notification relevant for the proposal has not been marked/highlighted.	नॉटिफिकेशन की सुस्पष्ट फोटो प्रति संलग्न कर दी गई है साथ ही उसे हाईलाईट भी कर दिया गया है।
5.	The forest area calculation submitted with the proposal is incorrect and is not as per the layout plan.	टोल प्लाजा निर्माण हेतु भूमि आवश्यकता मात्र 34 मी० की ही है जो कि सड़क सीमा के अन्तर्गत ही है। फारमेशन चौड़ाई 10 मी० छोड़कर शेष मार्ग के दोनों ओर 12-12 मीटर चौड़ाई एवं 350 मी० लंबी गई, इसी के अनुसार ही गणना की गई जो कि सही है।
6.	The information provided at Sr. No. 13(i) part II shows proposed compensatory afforestation on equivalent forest land which is contradictory to provisions contained in para 3.2 of Handbook of FCA. The Compensatory Afforestation Scheme should conform to the guidelines provided.	भारत सरकार की गाईड लाइन्स के अनुसार सूचना सही कर दी गई है।
7.	The location of proposed CA is liner strip of the same road which may be widened in future and thus needs revision.	प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण मार्ग वृक्षारोपण (लीनियर वृक्षारोपण) के स्थान आरक्षित वन ब्लॉक में वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है। जिसकी के० एम० फाईल मय जी० पी० एस० लोकेशन सहित संलग्न कर भेजा जा रहा है।
8.	The language of certificate under FRA 2006 enclosed with the proposal is not as per format.	वनाधिकार कानून-2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी फैजाबाद द्वारा जारी वांछित प्रमाण पत्र संलग्न है।
9.	The legal status of forest land has not been mentioned in Site Inspection Report submitted with the proposal.	प्रस्तावित भूमि संरक्षित वन भूमि घोषित है जो कि लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में है।

Executive Engineer

अधिसारसी अभियन्ता

बस्पाई बाबू (रा०मा०) लो०नि०वि०

सहायक अभियन्ता

826

दिनांक 11-5-2016

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

पत्रावली सं.
अग्रिम संदर्भ
क्रमांक
परिवहन भवन,
1, Sansad Marg,
New Delhi-110001.



File No. NH-12014/11/2014/UP/NH-II

Dated: 18.04.2016

To,
The Chief Engineer (NH),
Uttar Pradesh, PWD,
96.MG Road,
Nirman Bhavan, Lucknow.

Sub: Widening and Strengthening of National Highway No. 96 (new NH No. 330) from (Km. 0.00 to Km. 46.470) (Faizabad-Allahabad Road) in Uttar Pradesh on EPC mode - Relocation of Toll Plaza - reg.

Sir,

Please refer to your letter No. 841NH/177N/14 dated 24.02.2016 forwarding therewith the subject cited proposal for Ministry's consideration.

2. The proposal has been examined and based upon your recommendation the Competent Authority has given approval for relocation of toll plaza from Km 13.600 to Km.12.800 in the instant stretch from Km. 0.00 to Km. 46.470 subject to the condition that additional financial implication and any change in project completion schedule shall not be there. The same should be ensured.

3. It is requested to take further necessary action in this matter.

274 NH 6
29/4/16

M. S. Kidwai
24/4



2/5
Etc.

HS
576
25/4/16

Yours faithfully,
Amrit Kumar
Assistant Executive Engineer
For Director General (RD) &SS

Copy To: The Regional Officer, MORTH, Lucknow for similar action.

मुख्य आश्रयन्ता (रा० मार्ग)
लौ० नि० वि०, लखनऊ

Amrit Kumar
Assistant Executive Engineer
For Director General (RD) &SS

पत्रांक - 274 NH 6 / 177 N / 14 दिनांक - 29/4/16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना के तहत आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित -
1. अधीक्षण अभियंता, रा० मार्ग वृत्त, लौ० नि० वि० लखनऊ।
2. अधीक्षाधीन अभियंता, अ० रा० मार्ग खण्ड, लौ० नि० वि०, लखनऊ।

576 / 140 yd / 29/4/16

मुख्य आश्रयन्ता (रा० मार्ग)
लौ० नि० वि०, लखनऊ
29/4/16

Ex. Eng
11-5-16
एड एच. एन. ए. पी. ड.
सुप. एन. ए. ए. ए. ए.

(M. S. Kidwai)
Superintending Engineer
N. H. Circle, P.W.D.
Lucknow

12-5-2016

MISCELLANEOUS

August 23, 1955

(123) 123

o. 3208/XIV-Whereas the Governor, Uttar Pradesh, is of the opinion that making of enquiry and record contemplated under sub-section (3) of section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act no. XVI of 1927), will occupy such length of time as in the meantime to endanger the rights of the State Government.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by the proviso to the aforesaid sub-section and by sub-section (1) of the said section, and with section 80-A of the aforesaid Act, he is pleased to declare that pending such enquiry and record, the provisions of Chapter IV of the said Act shall be applicable to the lands specified in the Schedule hereto.

Schedule

No.	Name of Land to be declared as protected forest under Chapter IV of the Indian Forest Act	District	Route mileage	Description of boundary.
1.	Grand Trunk Road, from milestone 592/0 to mile 663/0	Kanpur	71 0 0	The land has been demarcated on the ground by stone or cement pillars or boundary ditches.
2.	Kanpur-Kalpi Road from milestone 52/0 to mile 96/0	-Do	44 0 0	Ditto.
3.	Kanpur-Hamirpur Road from mile 2/0 to mile 39/0	-Do	37 0 0	Ditto.
4.	Old Bahul Road from mile 173 to mile 173.	-Do	54 0 0	Ditto
5.	Lucknow-Kanpur Road from mile 0/0 to mile 46/3-640 ft.	Lucknow and Unnao	46 3 640	Ditto
6.	Lucknow-Bareilly Road from mile 0/0 to mile 152.	Lucknow, Sitapur and Bareilly	152 0 0	Ditto
7.	Lucknow-Pratapgarh Road from mile 0/0 to mile 108/0.	Lucknow, Rae Bareilly and Pratapgarh.	108 0 0	Ditto
8.	Lucknow-Sultanpur Road from mile 0/0 to mile 85/1-228 ft.	Lucknow, Rae Bareilly, Bara Banki and Sultanpur.	85 1 228	Ditto
9.	Lucknow-Faizabad Road from mile 0/0 to mile 76/3-366 ft.	Lucknow, Bara Banki and Faizabad	76 3 366	Ditto
10.	Allahabad-Faizabad Road from mile 0/0 to mile 25/6-513 ft.	Allahabad, Pratapgarh, Sultanpur and Faizabad.	25 6 513	Ditto
11.	Bara Banki-Bahramghat Road from mile 0/0 to mile 25/0	Bara Banki	25 0 0	Ditto
12.	Sitapur-Jhangirabad Road from mile 0/0 to mile 25/0.	Sitapur	25 0 0	Ditto
13.	Mearut-Bareilly (excluding Rampur state) Road from mile 34/0 to mile 06/5-3050 ft. and from mile 106/168 ft. to mile 129/0	Moradabad and Bareilly.	74 6 232	Ditto
14.	Bareilly-Mathura Road from mile 0/0 to mile 50/0.	Bareilly and Badaun.	50 0 0	Ditto

